कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.21 (13)89/आयो/प्रमुवसं./7044 दिनांक 12 जून, 1989

परिपत्र

कृषि वानिकी के तहत कीमतन पौध वितरण के सम्बन्ध में प्रचलित राज्योदेश संख्या एफ.7(23)वन86 दिनांक 28.2.89, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पृष्ठांकन एफ.21 (23) 87-88/विकास/1356-1466 दिनांक 4.3.89 द्वारा समस्त वनाधिकारियों को भेजी गयी है, के सफल एवं समुचित कियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रचलित किये जाते हैं -

निर्णय को लागू करना :- राज्य सरकार के निर्णय की कियान्विति 1 जुलाई, 1989 से की जावेगी । इस सम्बन्ध में संशोधित आदेश प्रसारित करने हेतु राज्य सरकार को पृथक् से निवेदन किया गया है ।

पौधशालाओं में एवं वन मण्डलों में अभिलेखों का संधारण :-

पौधशालाओं एवं मण्डल स्तर पर नीचे दी गई पेशानियों में रजिस्टर संधारित किये जावेंगे ।

पौधशालाओं की दैनिक पौध वितरण पंजिका

वन मण्डल .....रेंज .....पं.स. .....

दिनांक .....पौधशाला .....

कं.सं.	व्यक्ति/संस्था/विभाग का नाम मय पिता एवं जाति एवं पता	अ.जा., अ.ज.जा.,	कृषक के प्रकार लघु/सीमान्त/वृहत्
1	2	3	4
वितरित पौधों की प्रजातिवार संख्या			योग प्राप्त राशि
सफेदा शीशम फूलदार फलदार छायादार कंटीले अन्य			
5 6 7 8 9 10 11			12 13
रसीद क्रमांक प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी			
14 15			

वन मण्डल की पौध वितरण पंजिका

क्र.सं.	नाम पौधशाला	नाम पंचाचत समिति	पौधो की प्रजातिवार संख्या		
			कृषि वानिकी के तहत वितरित	विभागीय वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये गये	योग
1	2	3	4	5	6
कृषि वानिकी के तहत निजी व्यक्तियों को वितरित व्यक्तियों की संख्या					
अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य	योग		
7	8	9	10		

पौधशालाओं से 100 या इससे कम पौधे सीधे ही कीमतन उपलब्ध करवा दिये जावेंगे । 100 से अधिक पौधों के लिये सलंग्न प्रपत्र में मांग पत्र प्राप्त किया जाकर पौधे कीमतन दिये जावेंगे ।

पौधशाला में स्टॉक टेंकिग : पौधशालाओं में कितने पौधे पौधारोपण/वितरण हेतु उपलब्ध है इसका पता लगाने के उद्देश्य से स्टॉक टेंकिग वर्ष में दो बार 1 जून को तथा 1 जनवरी को किया जावेगा । 10 से.मी. व इससे अधिक ऊँचाई के पौधों को स्टॉक में सम्मिलित किया जावेगा । स्टॉक टेकिंग नीचे दिये गये प्रपत्र में किया जावेगा ।

पौधशाला में स्टॉक टेकिंग (15 जून /15 जनवरी) के समय उपलब्ध पौधों की सख्या (प्रत्येक प्रजाति को अलग-अलग में अंकित करना है ।).

क.सं.	नाम प्रजाति	स्टॉक टेकिंग के समय पौधशाला में उपलब्ध पौधों की संख्या		
		पोलिथीन बैग्स में	अथवा मिट्टी के गमलों में	सीधे क्यारियों में योग
1	2	3	4	5 6

स्टॉक में छीजत का प्रतिशत : - पौधशालाओं में पौधों को इधर-उधर बदलने में क्षति होती है । अत: रिकार्ड किये गये स्टॉक में 10 प्रतिशत छीजत मान्य होगी । इससे अधिक छीजत होने की दशा में स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/भू संरक्षण अधिकारी अपने अधीन पौधशाला में हुई छीजत को स्वीकृत करेंगे । छीजत 20 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में स्वीकृति वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित की जावेगी ।

ऐसे कांटेदार पौधे जिनका वर्ष के दौरान वितरण/रोपण नहीं हो सका तथा जिनको आगामी वृक्षारोपण तक रखा जा सकना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त ना हो इसका अपंलेखन संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/भूसंरक्षण अधिकारी द्वारा किया जावेगा । छीजत की स्वीकृति एवं कांटेदार पौधों के अपलेखन करने की उल्लेखित अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त करने हेतु राज्य सरकार को पृथक् से गया है ।

कीमत वसूल करने की प्रकिया :- 100 पौधे की सीमा तक पौधे उपयुक्त राशि, 5, 10, 20, 50 व 100 पैसे के कूपन के माध्यम से वितरित किये जावेंगे । 1 तथा 100 से अधिक की रसीद विभाग में प्रचलित खन्ना बुक से जारी की जावेगी ।

पौध वितरण से प्राप्त राजस्व को निम्न बजट मद में जमा करवाया जाना है :-

403 राजस्व प्राप्तियाँ - वानिकी और वन्य जीवन, 01- वानिकी, 800- अन्य प्राप्तियां, (00) पौध विकय से प्राप्तियां एन.आर.ई.पी./आर.एल.ई.जी.पी. के तहत तैयार किये गये पौधों के वितरण से प्राप्त राशि को इन्हीं कार्यकमों के मद के पी.डी. खातों में जमा कराया जाकर इस राशि का रिकोसिंग फंड के रूप में आगामी वर्ष में इस्तेमाल किया जावेगा ।

विशेष निर्देश - राज्यादेश में अंकित छोटी पत्तियों के पौधे जिनकी, सामान्य लोगों से 10 पैसे एवं अनु. जाति/जनजाति के लोगों से 5 पैसे लिये जाने है । इसकी सूची सलंग्न है । अन्य सभी प्रजातियों के पौधों में बड़ी पत्तियों की श्रेणी में ही आवेगें । पौधे निजी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा विभागों सभी को कीमतन ही उपलब्ध कराये जाने है । वन महोत्सव तथा विश्व वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस तथा इस प्रकार के अन्य अवसरों पर लगाये जाने वाले पौधे वितरण की श्रेणी में नहीं आवेगें । इस प्रकार लगाये जाने पौधों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं की जानी है ।

ह/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर